FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत ....उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू).................... मुकाम ....

....................भागवती.................... बनाम ....सरकार....

किस्म मुकदमा ....प्र.पत्र.... नं. ....102.... सन् ....2020....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
13/10/20	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act. का कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अवलोकन किया दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 9.11.2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
9/11/20	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 29.12.20 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
29/12/20	वकलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर है मिसल दिनांक 16-2-21 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
16/2/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व धारा 136 L.R.Act. के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 267, 271, 276, 39, 63, 74 कुल तादादी 13.11 है० रोही ढाणी भोजी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीनी का अशुद्ध नाम भागी दर्ज है तथा वादीनी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज में शुद्ध नाम भागवती है अतः जमाबन्दी में शुद्ध करने के आदेश दिए जावे। वाद से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ से मंगवाई [illegible] जाँच रिपोर्ट के प्रकरण के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व त अहकाम व हुक्म की त में जारी हु
	तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि हुई है तथा अशुद्धि धारा 136 L.R.Act. के अन्तर्गत आता है। अतः वादी को धारा 136 L.R.Act. के तहत पाये जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थनापत्र धारा 136 L.R.Act. की हद तक स्वीकार कर विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीनी का नाम भागी के स्थान पर भागवती दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जावे। मिसल बाद तकमील सागरशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	